



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): FARIDABAD CENTRAL Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0340 Date (दिनांक): 30/03/2018
19:21

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	406
2	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/03/2018 Time (समय): 17:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Time (समय): 30/03/2018
19:08 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 0.5 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): SEC-12,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): दिनेश गोयल

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री सुगन चन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	905, SEC-9, SECTOR - 7, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	905, SEC-9, SECTOR - 7, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	राजेश सिंगला		Father's Name: श्री त्रिलोक चन्द
2	कपिल अग्रवाल		Father's Name: श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल
3	नानक चन्द तायल		Father's Name:
4	अनिल जिन्दल		Father's Name: गिरार्ज जिन्दल

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान चैयरमेन मानव अधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।विषय:-- दरखास्त बरखिलाफ



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

कार्यवाही दोषीयान राजेश सिंगला पुत्र श्री त्रिलोक चन्द निवासी मकान नं0 260, सैक्टर-9, फरीदाबाद मो0 नं0 991 0370040, कपिल अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल निवासी मकान नं0 2048, सैक्टर-16, फरीदाबाद, मो0 नं0 9818027650, नानक चन्द तायल निवासी मकान नं0 202, सैक्टर-9, फरीदाबाद, अनिल जिन्दल पुत्र गिराज जिन्दल चैयरमैन एस.आर.एस. ग्रुप निवासी सैक्टर-12, फरीदाबाद बाबत धोखाधड़ी व फोरजरी करने बारे शिकायत । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं दिनेश गोयल पुत्र श्री सुगन चन्द गोयल निवासी मकान नं 905 सै0 9 फरीदाबाद में रहता हूँ, अब से लगभग 4 साल पहले मेरे पास दोषी नानक चन्द तायल आया और मुझे झांसे में लेकर रकम ऐंठने की नियत से मुझसे कुछ रकम इनवेस्ट करने का लालच दिया और कहा कि आपको मु0 24,00,000/- रुपये इनवेस्ट करने होंगे जिसकी एवज में आपको एस.आर.एस. का एक फ्लेट श्री बी.एच.के. नहरपार एस.आर.एस. सिटी में दिया जायेगा। नानक चन्द मेरे पास बार-बार चक्कर लगाता रहा और मुझे अपनी बातों में फंसा लिया तथा दिनांक - 02.08.2012 को मुझे एस.आर.एस. कार्यालय सैक्टर-12, फरीदाबाद में मु0 10,00,000/- रुपये की राशि लेकर बुला लिया जहाँ मुझे नानक चन्द तायल ने राजेश सिंगला, कपिल अग्रवाल व अनिल जिन्दल से मिलवाया. और उपरोक्त सभी दोषीयान ने उपरोक्त फ्लेट की तायद करते हुये मुझसे 10,00,000/- रुपये देने के लिये कहा तथा इन सभी ने मुझे अपने जाल में फंसा कर 10,00,000/- रुपये की राशि ऐंठ कर मेरी पत्नी श्रीमती उषा अग्रवाल के नाम एक रसीद दे दी जिसकी कापी इस दरखास्त के साथ संलग्न है। इसके अलावा उक्त दोषीयान ने मुझसे उक्त फ्लेट की बाबत मु0 3,00,000/- रुपये दिनांक 23.02.2013, 5,00,000/- रुपये दिनांक 18.03.2013, 3,00,000/- रुपये दिनांक 05.06.2014 तथा बकाया राशि मु0 3,00,000/- रुपये दिनांक 27.10.2014 को ले ली, इस प्रकार दोषीयान के पास कुल मु0 24,00,000/- रुपये बाबत बताये हुये फ्लैट के पहुंच गए और मुझसे राजेश सिंगला व कपिल अग्रवाल ने कहा कि आपको 6 माह के अन्दर-अन्दर उक्त फ्लेट दे दिया जायगा तकरीबन 6 महीने बाद मैं मई 2015 में उपरोक्त दोषीयान से मिला तो उन्होंने मुझे आगे फिर 6 महीने का समय फ्लेट देने के लिये दे दिया। 6 माह बाद नानक चन्द तायल का मेरे पास फोन आया कि उक्त फ्लेट की एवज में आपको 3,00,000/- रुपये की राशि और अलग से देनी होगी तब आपको फ्लेट का कब्जा दिया जायेगा अब क्योंकि उपरोक्त दोषीयान के पास मेरी मोटी रकम 24,00,000/- रुपये पहले ही जा चुकी थी और इन लोगों ने मेरे अन्दर यह है बैठा कर कि यदि अब मु0 3,00,000/- रुपये की राशि और नहीं देंगे तो आपकी पहले दी गई राशि मु0 24,00,000/- रुपये जब्त हो जायेंगे। मैंने इनके भय और दबाव की वजह से दिनांक 06.11.2015 को मु0 3,00,000/- रुपये अनिल जिन्दल



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

को उपरोक्त तीनो दोषीयान की मौजूदगी में जमा करा दिये। मैं अब उपरोक्त सभी दोषीयान के पास उक्त फ्लैट को लेने के लिये बार-बार जाता रहा और फ्लैट के कब्जे के लिये गुहार करता रहा लेकिन मुझे आजतक उपरोक्त फ्लैट का ना ही। कोई नम्बर दिया गया, ना ही किसी कब्जे की बाबत मुझसे बात की गई, परन्तु उक्त दोषीयान ने उक्त फ्लैट की जगह के बारे में बार-बार मेरे आग्रह करने पर एक बार उक्त फ्लैट की जमीन की बाबत कुछ कागजात अवश्य दिखाये जिनकी भी फोटोकॉपी भी मेरे मांगने पर उन्होंने मुझे ना दी और उसके बाद मुझे दोषीयान ने फ्लैट के जमीन के मालिकाना हक के कागजात भी मुझे ना दिये, ना ही मेरे या मेरी पत्नी के हक में कोई दस्तावेज संलग्न रसीद के अलावा तहरीर किया। जिससे मुझे अंदेशा है कि उपरोक्त दोषीयान ने एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे साथ धोखाधड़ी, जालसाजी करके व फर्जी दस्तावेज तैयार करके मुझसे मोटी रकम ऐंठ कर मेरे साथ धोख किया है। क्योंकि उक्त रसीद पर भी ना ही किसी कम्पनी का या व्यक्ति विशेष का नाम है। मैं कई बार इन लोगों से उक्त फ्लैट को लेने की बाबत इनके ऑफिस में धक्का खाता आ रहा हूँ। लेकिन इन सभी चार उपरोक्त दोषीयानों ने ना ही तो मुझे कोई फ्लैट दिया और ना ही मुझे मेरे पैसे वापिस लौटाये, दोषीयान राजेश, कपिल अग्रवाल, नानक चन्द तायल व अनिल जिन्दल ने मिलकर अपनी सोची समझी साजिश के तहत मुझसे फ्लैट का लालच देकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके मुझ से 27,00,000/-रूपये की रकम ऐंठ ली है। अतः जनाब से प्रार्थना है कि अनिल जिन्दल चैयरमेन एस.आर.गुप फ्लैट देने के नाम पर हजारों करोड़ रूपये फरीदाबाद तथा आसपास के शहरों से उधार लिया हुआ है। यहाँ के पुलिस कमीश्नर, व प्रशासनिक अधिकारी इसके प्रभाव में है तथा इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। हमारे साथ अनिल जिन्दल चैयरमेन एस.आर.एस. गुप ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जालसाजी व धोखा धड़ी की है जिसके बाद हमने यहाँ एस0एच0ओ0 सेन्ट्रल थाना सैक्टर-12 फरीदाबाद को दिनांक 14.07.2016 को तथा पुलिस कमीश्नर सैक्टर-21 फरीदाबाद को 08.08.2016 को लिखित शिकायत कर चुके हैं। परन्तु हमारी आवाज को दबाया जा रहा है हमें मानव अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हमारे पास इनके द्वारा जारी दस्तावेज होने के बावजूद पुलिस प्रशासन फरीदाबाद एक नहीं सुन रहा है, उक्त व्यक्ति की यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी जानकारी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि अनिल जिन्दल चैयरमेन एस.आर.एस. गुप फरीदाबाद के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस कमीश्नर, फरीदाबाद व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए आदेश पारित करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। फोटो कॉपी संलग्न रसीद नं0 R12/H/2 प्रार्थी दिनेश गोयल पुत्र श्री सुगन चन्द निवासी मकान नं0 905 सैक्टर-9, फरीदाबाद मो0 9811305851



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

अजथाना- आज दिनांक 30.03.2018 को एक दरखास्त नम्बरी 80CP/NHRC DATE 30.03.2018 बजरीया डाक बाद जाँच DCP कार्यालय के माध्यम से बजरिया डाक थाना मे प्राप्त होने पर मु0न0 340 DT 30.03.2018 U/S 420/406 IPC थाना सैन्ट्रल फरी0 दर्ज रजि किया जाकर FIR प्रतियानुसार कम्पुटर दवारा तैयार करके अफसरान बाला की सेवा बजरिया डाक भेजी जाएगी । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मामला 27,00,000/-रुपये की धोखा धडी होने के कारण उच्च अधिकारियो के निर्देश अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु EOW CELL CENTRAL भेजी जायेगी

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
Sazid Hussain
No. (सं.): FBD to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant /

informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे

का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): rajdeep singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): pp

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				Is Proxitted: Yes
2	Male	1978				Is Proxitted: Yes
3	Male	1978				Is Proxitted: Yes
4	Male	1978				Is Proxitted: Yes



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)